



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042021-226527
CG-DL-E-12042021-226527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 152]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 18 फरवरी, 2021

सं. एल-1/42/2010-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्,केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियमन) विनियम, 2010 (इसके बाद 'मूल विनियम' के रूप में उल्लिखित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा आरंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियमन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 है।
- (2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन:

- (1) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ग) को निम्नानुसार किया जाएगा:

“(ग) “फायदाग्राही” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है। (i) जिसे केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र से विद्युत आवंटित किया गया या (ii) जिसे उत्पादन केन्द्र से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति की जा रही है जिसका टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित या अंगीकृत किया गया है या (iii) जो अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच का उपयोग कर रहा है या (iv) जो अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली का एक प्रयोक्ता है।

- (2) “व्यतिक्रमी इकाई” के रूप में शीर्षक से मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) उपखण्ड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(घ) "चूककारी इकाई" से वह हिताधिकारी अभिप्रेत है जिसने किसी उत्पादनकारी कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित तारीख पर भुगतान करने में या करार या लागू विनियमों, जैसा भी मामला हो, के संदर्भ में साखपत्र या किसी अन्य सहमत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रखरखाव में चूक की है;"

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ड) को निम्नानुसार किया जाएगा:

"(ड)" विद्युत आपूर्ति के विनियम के लिए "व्यतिक्रम करने की तारीख" निम्नानुसार होगी:

- i) बकाया देयताओं के गैर भुगतान के मामले में, देय तारीख के बाद अगला कार्य दिवस; और
- ii) साखपत्र या किसी अन्य सहमत भुगतान सुरक्षा तंत्र के गैर-रखरखाव के मामले में, साखपत्र या सहमत भुगतान सुरक्षा तंत्र के समाप्त होने के बाद तीसरा कार्यदिवस।"

(4) नया उपखण्ड (ड-1) को मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ड) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(ड-1) देयताओं के भुगतान के लिए "देय तारीख" निम्नानुसार होगी:

- i) अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के संबंध में समय समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2020 में यथा विनिर्दिष्ट; या
- ii) समय समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन विनियमित उत्पादन कंपनियों के संबंध में बिलों की प्रस्तुति की तारीख से 45वां दिन; या
- iii) उपखण्ड (i) और उक्त (ii) के अधीन कवर न की गई इकाइयों के लिए संबंधित करारों के उपबंधों के अनुसार।"

(5) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (छ) को निम्नानुसार किया जाएगा:

"(छ)" बकाया शोध्य" से उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की देयताएं अभिप्रेत हैं जो देय तारीख के आगे हिताधिकारी द्वारा अदत्त हैं।"

(6) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ट) को निकाला जाएगा:

(7) एक नया खण्ड (1क) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (2) से पूर्व निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(1क) इन विनियमों में "पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" का संदर्भ केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता को शामिल करेगा जिसे अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों के बिलिंग, संग्रहण और संवितरण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियम आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2020 के अधीन प्राधिकृत किया गया है।"

3. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 3 को निम्नानुसार किया जाएगा:

"3.विस्तार तथा लागू होना": ये विनियम प्रत्यय-पत्र या किसी अन्य सहमत भुगतान सुरक्षा तंत्र के गैर-रखरखाव के मामले में बकाया देय के गैर-भुगतान के मामले में विद्युत आपूर्ति के विनियमन के लिए, उत्पादनकारी केन्द्र, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली और हिताधिकारी, जहां उत्पादनकारी कंपनी और हिताधिकारी के बीच या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और हिताधिकारी, जैसा भी मामला हो, के बीच करार में या आयोग के किसी अन्य विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंध हो।"

4. मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन:

(1) शब्द "या लागू विनियम" मूल विनियमों के विनियम 4 में "करार के अनुसार" शब्दों के बाद जोड़े जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 4 के अधीन तृतीय परन्तुक में शब्द "परंतु यह और" को शब्द "परंतु यह भी" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 5 को निम्नानुसार किया जाएगा:

"5. विनियम 4 के अधीन नोटिस की एक प्रति विनियमन इकाई द्वारा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को जिसके नियंत्रण क्षेत्र में विनियमन इकाई स्थित है, कार्यान्वयन योजना तैयार करने के अनुरोध के साथ प्रेषित की जाएगी। उक्त नोटिस की प्रतियां और अनुरोध अन्य संबद्ध प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों, राज्य भार प्रेषण केन्द्रों,

प्रादेशिक विद्युत समितियों तथा चूककारी इकाईको विनियमन इकाई द्वारा किया जाएगा। उक्त नोटिस और अनुरोध विद्युत आपूर्ति के विनियम के आरंभ होने की प्रस्तावित तारीख के कम से कम तीन दिन पूर्व विनियमन इकाई की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

बशर्ते यह कि विनियमन इकाई संबद्ध प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को क्षतिपूर्ति, सुरक्षित और बचाने की जिम्मेदारी लेगा और इन विनियमों के अधीन विद्युत के विनियमन से उत्पन्न या इसके परिणामस्वरूप तृतीय पक्ष को या इसके द्वारा किसी और सभी क्षतियों, हानियों, दावों और कार्रवाई, मांगों, वाद, वसूलियों, लागत एवं व्यय, कोर्ट की लागत, एटॉर्नी फीस और सभी अन्य दायित्वों से उन्हें क्षतिरहित रखेगा।

6. मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 6 में शब्द "विनियमित" को शब्द "व्यतिक्रमी" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 8 में शब्द "रद्दकरण" को शब्द "निवर्तन या स्थगन" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. मूल विनियम के विनियम 10 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 10 में शब्द और अंक "विनियम 17" को शब्द व अंक "विनियम 19" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 11 के खण्ड (1) को निम्नानुसार किया जाएगा:

"विद्युत आपूर्ति के विनियम की अवधि के दौरान विनियमित इकाई भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दी गई संशोधित अनुसूची के लिए निकासी या अंतःक्षेपण को नियंत्रित करेगा और निकासी या अंतःक्षेपण अनुसूची से विचलनों, यदि कोई है, को समय समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियमक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के उपबंधों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा।"

10. मूल विनियम के विनियम 11 के बाद नया विनियम:

(1) एक नया विनियम 11क मूल विनियम के विनियम 11 के बाद निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:

"11क. बकाया देयताओं के भुगतान में चूक के लिए हिताधिकारी को अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने की मनाही समय समय से यथासंशोधित या उसकी किसी पुनर्अधिनियमनकेन्द्रीय विद्युत विनियमक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार अधिशासित किया जाएगा।"

11. मूल विनियम के विनियम 12 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 12 के खण्ड (1) में "व्यतिक्रमी इकाई" को "विनियमित इकाई" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 12 के खण्ड (2) की दूसरी पंक्ति में वर्ष "2009" को वर्ष "2008" किया जाएगा।

12. मूल विनियम के विनियम 14 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 14 को निम्नानुसार किया जाएगा:

"14. हाइड्रो उत्पादन केन्द्र से विद्युत आपूर्ति के विनियम के दौरान, उत्पादनकारी केन्द्र जल के बिखराव से बचाव के उद्देश्य से इन विनियमों के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति को अधिशेष विद्युत की मात्रा का विक्रय कर सकता है। जल के बिखरावके मामले में ऊर्जा प्रभार की हानि पहले प्रभार पर विद्युत आपूर्ति के विनियम के कारण अधिशेष विद्युत की बिक्री के माध्यम से अर्जित राजस्व से अच्छा हो जाएगा और शेष रकम इन विनियमों के विनियम 13 के अनुसार समायोजित की जाएगी।"

13. मूल विनियम के विनियम 18 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 18 को निम्नानुसार किया जाएगा:

"18. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर हाइड्रो उत्पादन केन्द्र से विद्युत आपूर्ति के विनियम के दौरान, उत्पादनकारी केन्द्र जल के बिखराव से बचाव के उद्देश्य से इन विनियमों के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति को अधिशेष विद्युत की मात्रा का विक्रय कर सकता है। जल के बिखराव के मामले में ऊर्जा प्रभार की हानि पहले प्रभार पर विनियम के

कारण अधिशेष विद्युत की बिक्री के माध्यम से अर्जित राजस्व से अच्छा हो जाएगा और शेष रकम इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार समायोजित की जाएगी।”

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./10/2021-22]

टिप्पण: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियमन) विनियम, 2010 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 248 में तारीख 30.9.2010 को अधिसूचित किए गए तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 185 में तारीख 6.9.2011 को अधिसूचित शुद्धिपत्र के माध्यम से संशोधित किया गया।

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2021

No. L-1/42/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”) namely:

1. Short Title and Commencement:

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) (First Amendment) Regulations, 2021.
- (2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:

- (1) Sub-clause (c) of Clause(1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(c) “Beneficiary” means the person (i) who has been allocated electricity from a Central Generating Station; or (ii) who is being supplied electricity generated from a generating station whose tariff is determined or adopted by the Commission; or (iii) who is availing long term access or medium-term open access to inter-State transmission system; or (iv) who is a user of the inter-State transmission system”

- (2) Sub-clause (d) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations titled as “Defaulting Entity” shall be renumbered and substituted as under:

“(d-i) “Defaulting entity” means the beneficiary which has defaulted in making payment by due date to a generating company or a transmission licensee or in maintaining Letter of Credit or any other agreed Payment Security Mechanism in terms of the Agreement or the applicable Regulations, as the case may be;”

- (3) Sub-clause (e) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(e)“Default Trigger Date” for regulation of power supply, shall be:

- i) the next working day after the due date, in case of non-payment of outstanding dues; and
- ii) the third working day after the Letter of Credit or the agreed Payment Security Mechanism has expired, in case of non-maintenance of Letter of Credit or any other agreed Payment Security Mechanism.”

- (4) New sub-clause (e-i) shall be added after sub-clause (e) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

“(e-i) “Due date” for payment of dues shall be:

- i) as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 as amended from time to time, in respect of inter-State transmission system; or
- ii) 45th day from date of presentation of bills in respect of generating companies regulated under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time; or
- iii) as per provisions of the respective Agreements for entities not covered under sub-clauses (i) and (ii) above.”

(5) Sub-clause (g) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(g) "Outstanding dues" means the dues of a generating company or of a transmission licensee, which remain unpaid by the beneficiary beyond the due date.”

(6) Sub-clause (j) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be deleted.

(7) A new clause (1A) shall be added before Clause (2) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

“(1A) Reference to “transmission licensee” in these regulations shall include the Central Transmission Utility which has been authorized under the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 for billing, collection and disbursement of transmission charges for inter-State transmission system.”

3. Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations:

(1) Regulation 3 of the Principal Regulation shall be substituted as under:

“3. Scope and Applicability: These Regulations shall be applicable to generating station, inter-State transmission system and beneficiary, where there is a specific provision in the Agreement between generating company and beneficiary or between transmission licensee and beneficiary, as the case may be, or in any other Regulations of the Commission, for regulation of power supply in case of non-payment of outstanding dues or non-maintenance of Letter of Credit or any other agreed Payment Security Mechanism.”

4. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations:

(1) The words “or applicable Regulations” shall be added after words “as per the Agreement” in Regulation 4 of the Principal Regulations.

(2) In third proviso under Regulation 4 of the Principal Regulations, the word “further” shall be substituted with the word “also”.

5. Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations:

(1) Regulation 5 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“5. A copy of the notice under Regulation 4 shall be forwarded by the Regulating Entity to the Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre in whose control area the Regulating Entity is situated with a request to prepare implementation plan. Copies of the said notice and request shall be served by the Regulating Entity on other concerned Regional Load Despatch Centres, State Load Despatch Centres, Regional Power Committees and the Defaulting Entity. The said notice and request shall also be posted on the website of the Regulating Entity at least three (3) days in advance of the proposed date of commencement of regulation of power supply:

Provided that the Regulating Entity shall undertake to indemnify, defend and save the concerned Regional Load Despatch Centre, State Load Despatch Centre and hold them harmless from any and all damages, losses, claims and actions, demands, suits, recoveries, cost and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties arising out of or resulting from the regulation of power under these regulations.”

6. Amendment to Regulation 6 of the Principal Regulations:

(1) In Regulation 6 of the Principal Regulations, the word ‘Regulated’ shall be substituted with the word “Defaulting”.

7. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:

(1) In Regulation 8 of the Principal Regulations, the word ‘cancellation’ shall be substituted with the words “withdrawal or postponement”.

8. Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations:

(1) In Regulation 10 of the Principal Regulations, the word and figure “Regulation 17” shall be substituted with the word and figure “Regulation 19”.

9. Amendment to Regulation 11 of the Principal Regulations:

(1) Clause (1) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“During the period of regulation of power supply, the Regulated Entity shall restrict its drawal or injection to the revised schedule given by the Load Despatch Centre and the deviations, if any, from the drawal or injection schedule shall be settled in accordance with provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 as amended from time to time.”

10. New Regulation after Regulation 11 of the Principal Regulations:

(1) A new Regulation 11A shall be inserted after Regulation 11 of the Principal Regulations as under:

“11A. Denial of grant of short term open access to a beneficiary, for default in payment of outstanding dues shall be governed in accordance with the provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time or any re-enactment thereof.”

11. Amendment to Regulation 12 of the Principal Regulations:

(1) In Clause (1) of Regulation 12 of the Principal Regulations, the words “Defaulting Entity” shall be substituted with the words “Regulated Entity”.

(2) In 3rd line of Clause (2) of Regulation 12 of the Principal Regulations, the year ‘2009’ shall be replaced with the year ‘2008’.

12. Amendment to Regulation 14 of the Principal Regulations:

(1) Regulation 14 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“14. During regulation of power supply from a hydro generating station, the generating station may, in order to avoid spillage of water, sell the quantum of power rendered surplus, to any person in accordance with the provisions of Regulation 12 of these regulations. The loss of energy charge, in case of spillage of water, shall be made good from the revenue earned through sale of power rendered surplus due to regulation of power supply, on first charge, and the balance amount shall be adjusted in accordance with Regulation 13 of these regulations.”

13. Amendment to Regulation 18 of the Principal Regulations:

(1) Regulation 18 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“18. During regulation of power supply from a hydro generating station at the request of a transmission licensee, the generating station may, in order to avoid spillage of water, sell the quantum of power rendered surplus, to any person in accordance with the provisions of Regulation 12 of these regulations. The loss of energy charge, in case of spillage of water, shall be made good from the revenue earned through sale of power rendered surplus due to regulation, on first charge, and the balance amount shall be adjusted in accordance with Regulation 16 of these regulations.”

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./10/2021-22]

Note: The Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) Regulations, 2010 were notified in Part III- Section 4, No. 248 of Gazette of India (Extraordinary) dated 30.9.2010 and corrected vide corrigendum notified in Part III- Section 4, No. 185 of Gazette of India (Extraordinary) dated 6.9.2011.